COMPLIANCE OF POINT 2 OF QUERY-4

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर,जैसलमेर

कमांक:प.12(3)( )राजस्व/2022/879 दिनांक:-24/03/2022

–:: आदेश ::–

यतः मै. वन्डर **सीमेन्ट** लि. द्वारा ग्राम सोनू नवसृजित तहसील सम व ग्राम लीला पारेवर एवं ग्राम पारेवर तहसील जैसलमेर में **Large Scale Industry** की स्थापना के लिये सीमेन्ट प्लान्ट, सार्वजनिक रास्ते एवं पहुंच सडक तथा रेलवे लाईन बिछाने के लिये आवेदित की गई भूमि को औद्योगिक एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित/आवंटन करने के संबंध में उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार, जैसलमेर के प्रस्तावनुसार राज्य सरकार के राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर को भूमि आवंटन/आरक्षित करने के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु इस कार्यालय के पत्रांक/राजस्व/2022/183 दिनांक 13.01.2022 से प्रेषित किये गये।

यतः प्रकरण में राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांकः प. 02(10) राज–3/ 2022 दिनांक 11.02.2022 से मै. वन्डर सीमेन्ट लि. की प्रस्तावित **Large Scale Industry** की परियोजना की स्थापना के लिये सीमेन्ट प्लान्ट, सार्वजनिक रास्ते एवं पहुंच सडक तथा रेलवे लाईन बिछाने के लिये आवेदित की गई भूमि को औद्योगिक एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित/आवंटन करने एवं भूमि के उपयोग करने की अनुमति के संबंध में सशर्त राजकीय स्वीकृति जारी गई है।

अतः प्रकरण में राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई स्वीकृति एवं तहसीलदार, जैसलमेर के प्रस्तावनुसार ग्राम पारेवर तहसील जैसलमेर की संलग्न परिशिष्ट–अ में वर्णित कुल 26 खसरा नम्बरान की उनके समक्ष अंकित कुल रकबा 421.1573 हैक्टेयर में से **377.5487 हैक्टेयर** भूमि की किस्म खारिज कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ पृथक व आरक्षित (सेट–ए–पार्ट) की जाती है एवं राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि को गै. मु. उद्योग दर्ज करने का आदेश निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन जारी किया जाता है:–

1. सर्व प्रथम कंपनी सीमेन्ट प्लान्ट हेतु आवेदित/आरक्षित की गई भूमि में से होकर गुजर रही सडक/रास्ते के शिफ्टिंग की स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त करेगी। कंपनी उक्त सडक के वैकल्पिक सडक मार्ग का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित नोर्मस एवं शर्तों के तहत किया जाकर इसे पी.डब्लू.डी. को सौंपें जाने के उपरान्त ही प्लान्ट हेतु आरक्षित की गई भूमि में से चल रहे रास्ते की भूमि के संबंध में औद्योगिक सेट–अपार्ट की अनुज्ञा प्रभावी मानी जावेगी।
2. प्लान्ट हेतु आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईनों को सक्षम स्तर से अनुज्ञा प्राप्त कर कम्पनी स्वयं के खर्च से शिफ्ट करवायेगी।
3. अन्य जो भी शर्तें उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा भूमि आवंटन करने की स्वीकृति में रखी जावेगी, उक्त शर्तों का कम्पनी पालन किये जाने हेतु बाध्य होगी।

प्रकरण में राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई स्वीकृति के संलग्न परिशिष्ट–ब में उल्लेखित शर्त सं. एक की अनुपालना में मै. वन्डर सीमेन्ट लि. ने ग्राम पारेवर तहसील जैसलमेर की परिशिष्ट–ब में वर्णित कुल 22 खसरा नम्बरान की उनके समक्ष अंकित कुल 25.9893 हैक्टयेर भूमि की कीमत इस कार्यालय के पत्रांकः प.12(3)( ) राजस्व/2022/604 दिनांक 04.03.2022 से जारी डिमान्ड नोटिस के अनुसार राशि 74,34,995.00 (अक्षरे रूपये चौहत्तर लाख चोंतीस हजार नो सौ पिच्चानवे मात्र) राजकोष में जरिये **e-Challan GRN:0059595382 dated 05.03.2022** से जमा करवाना तहसीलदार, जैसलमेर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, अतः उपरोक्त वर्णित 25.9893 हैक्टयेर भूमि की किस्म खारिज कर तहसीलदार, जैसलमेर के प्रस्तावनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 92 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त भूमि को सार्वजनिक रास्ते के प्रयोजनार्थ पृथक व आरक्षित (सेट–ए–पार्ट) किया

25/06/2022

(Rajendra Bora)
Genaral Manager (Mines)
Wonder Cement Limited
Jaisalmer Project

31-5-2022

(Rajendra Bora)
Genaral Manager (Mines)
Wonder Cement Limited
Jaisalmer Project

COMPLIANCE OF POINT-2 OF QUERY-4

जाता है एवं राजस्व रेकर्ड में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ गै. मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन जारी किया जाता है:–

1. वैकल्पिक सार्वजनिक रास्ते एवं सीमेन्ट प्लांट से मोकला–मोहनगढ रोड़ से जोडने वाले नवीन रास्ते को भी कंपनी स्वयं के व्यय से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सार्वजनिक निर्माण विभाग के निर्धारित नोर्मस एवं शर्तों अनुसार निर्मित कर इसे पी.डब्लू.डी. को सुपुर्द करेगी।
2. उक्त रास्ते की भूमि पर कम्पनी द्वारा भविष्य में स्वामित्व प्रकट नहीं किया जावेगा। उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में '' सार्वजनिक प्रयोजनार्थ गै. मु. रास्ता'' के रूप में दर्ज किया जावेगा।

प्रकरण में राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई स्वीकृति के संलग्न परिशिष्ट–स में उल्लेखित शर्त सं. तीन की अनुपालना में मै. वन्डर सीमेन्ट लि. ने ग्राम पारेवर तहसील जैसलमेर के परिशिष्ट–स में क. सं. 33 व 34 पर उल्लेखित खसरा नम्बरान की उनके समक्ष अंकित कुल 2.0166 हैक्टेयर भूमि की कीमत इस कार्यालय के पत्रांकः प.12(3)( ) राजस्व/2002/604 दिनांक 04.03.2022 से जारी डिमान्ड नोटिस के अनुसार राशि 05,82,992.00 (अक्षरे रूपये पांच लाख बियासी हजार नो सौ बरानवे मात्र) राजकोष में जरिये e-Challan GRN:0059595382 dated 05.03.2022 से जमा करवाना तहसीलदार, जैसलमेर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। अतः इस आदेश के संलग्न परिशिष्ट–स में वर्णित ग्राम सोनू नव सृजित तहसील सम, ग्राम लीला पारेवर एवं ग्राम पारेवर तहसील जैसलमेर के कुल 25 खसरा नम्बरान किस्म बंजड, बारानी, गै. मु. डूंगरी (राजकीय सिवायचक) रकबा 23.4587 हैक्टेयर भूमि को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 92 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ओद्योगिक, प्रयोजनार्थ पृथक व आरक्षित (सेट–ए–पार्ट) की जाती है एवं राजस्व रेकर्ड में उपरोक्त भूमि को गै. मु. उद्योग दर्ज करने का आदेश जारी किया जाता है। संलग्न परिशिष्ट– स में वर्णित ग्राम लीला पारेवर एवं पारेवर की गै. मु. औरण एवं गै. मु. आगौर किस्म की भूमियों के उपयोग की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

1. गै. मु. औरण किस्म की आवेदित भूमि के संबध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टी.एन. गोदावर्मन बनाम भारत संघ व अन्य में रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995 में राजस्थान राज्य में वन भूमि के चिन्हिकरण के संबध में दायर की गई Interlocutory (I. A.) में पारित निर्णय दिनांक 03.07.2018 में औरण भूमि को वन भूमि माने जाने के कारण उक्त आवेदित भूमि को वन सरंक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत कंपनी स्वयं की भूमि एवं व्यय से निर्धारित प्रकिया का पालन कर भूमि के डायवर्सन की सक्षम स्तर से अनुज्ञा प्राप्त किये जाने की शर्त पर पर ही उपयोग की अनुमति होगी।
2. संलग्न परिशिष्ठ–स के क्र. सं. 33 व 34 पर उल्लेखित राजस्व ग्राम पारेवर के खसरा सं. 1462 एवं 1463 की भूमि को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89(3) के तहत ''राईट ऑफ वे '' के तहत जल भराव एवं बहाव को अवरूद्ध नहीं किये जाने की शर्त के आधार पर उपयोग किये जाने की अनुमति प्रदान की जा रही है। उक्त भूमि राजकीय अभिलेखों में यथावत रखी जावेगी।
3. आवंटन के समय उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित शर्तें, प्रस्तावित रेल्वे लाईन के निर्माण एवं उसके संचालन के संबंध में रेल्वे विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों की पालना हेतु कंपनी बाध्य होगी।
4. प्रकरण में कंपनी को प्रस्तावित रेल्वे लाईन बिछाने के लिये ग्राम सोनू में रेल्वे लाईन के लिये प्रस्तावित भूमि में से निकलने वाली 132 KV Electric Lines एवं LT Electric Lines को रेलवे विभाग की शर्तों के अनुसार कंपनी के स्वयं के खर्चे से शिफ्ट/सुरक्षित करवाने का दायित्व कंपनी का रहेगा। प्रस्तावित रेल्वे लाईन की स्थापना से पूर्व उपरोक्त Electric Lines Shifting की सक्षम स्वीकृति जोधपुर विद्युत वितरण निगम से जारी करवाने का उत्तरदायित्व भी कंपनी का होगा।
5. प्रकरण में रेल्वे लाईन के संरेखण में से मौके पर प्रचलित एवं राजस्व अभिलेखों में दर्ज रास्तों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की जावेगी इसमें सार्वजनिक आवागमन निर्बाध रखा जावेगा इस पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जावेगा।
6. राज्य सरकार एवं रेलवे विभाग द्वारा निर्धारित अन्य शर्तें कंपनी M/s Wonder Cement Ltd. को मान्य होगी।

अन्य शर्तें :–

(Rajendra Bora) 01/06/2022
Genaral Manager (Mines)
Wonder Cement Limited
Jaisalmer Project

(Rajendra Bora) 31-5-2022
Genaral Manager (Mines)
Wonder Cement Limited
Jaisalmer Project

COMPLIANCE OF POINT-2 OF QUERY-4

1. प्रकरण में उद्योग प्रयोजनार्थ भूमि का आरक्षण राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर की स्वीकृति दिनांक 11.02.2022 की अनुपालना में कंपनी द्वारा आवेदित उद्योग **Large Scale Industries** की स्थापना के लिये किया गया है, अतः उक्त आरक्षित की गई भूमि का आवंटन राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के नियम 2A के तहत राज्य सरकार के उद्योग विभाग द्वारा किया जावेगा एवं इस संबंध में उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित समस्त शर्तें मानने के लिये कंपनी बाध्य होगी।
2. प्रकरण में औरण भूमि को वन भूमि माने जाने के कारण उक्त आवेदित भूमि को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रकिया का पालन कर भूमि के डायवर्सन की सक्षम स्तर से अनुज्ञा प्राप्त किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये कंपनी बाध्य होगी। उप वन संरक्षक, जैसलमेर को उपरोक्त कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करने के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
3. इस आदेश में उल्लेखित उपरोक्त वर्णित शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन कंपनी द्वारा किया जाने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

संलग्नः–परिशिष्ट–अ, ब एवं स

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
जिला कलक्टर,
जैसलमेर

क्रमांक : राजस्व/2022/880-892
दिनांक :24/03/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन व पथ), जैसलमेर।
5. उप वन संरक्षक, जैसलमेर
6. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जैसलमेर।
7. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा अनुभाग, कलेक्ट्रेट, जैसलमेर।
8. तहसीलदार (राजस्व/लेखा), जैसलमेर/सम को प्रेषित कर लेख है कि उद्योग प्रयोजनार्थ आरक्षित की गई भूमि का आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाकर म्यूटेशन एवं जमाबंदी की एक एक प्रति इस कार्यालय को एक सप्ताह में आवश्यक रूप से भिजवावें।
9. मै. वन्डर सिमेन्ट लि.,17 पुराना फतेहपुरा, सेवा मंदिर के पास, उदयपुर–313004 (राजस्थान)।
10. गार्ड फाईल।

(हरि सिंह मीना)
अति.जिला कलक्टर,
जैसलमेर

03/06/2022
(Rajendra Bora)
Genaral Manager (Mines)
Wonder Cement Limited
Jaisalmer Project

31.05.2022
(Rajendra Bora)
Genaral Manager (Mines)
Wonder Cement Limited
Jaisalmer Project

COMPLIANCE OF POINT-2 OF QUERY-4

कार्यालय जिला कलक्टर, जैसलमेर

परिशिष्ठ–अ

मै. वन्डर सीमेंट लिमिटेड को ग्राम पारेवर तह. व जिला जैसलमेर में सीमेन्ट प्लान्ट निर्माणार्थ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित की गई भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र सं.	ख. नं.	कुल रकबा (हैक्टर में)	भूमि की किस्म	आरक्षित रकबा (हैक्टर में)
1.	2141	25.2813	बंजड	17.7089
2.	2140	25.2489	बंजड	17.7089
3.	2139	05.3798	बंजड	2.4736
4.	2129	19.5293	बंजड	15.2355
5.	2121	25.2813	बंजड	17.7089
6.	2120	15.2254	बंजड	02.8176
7.	2142	25.2813	बंजड	25.2813
8.	2143	19.0034	बंजड	19.0034
9.	2130	06.0836	बंजड	06.0836
10.	2128	25.2813	बंजड	25.2813
11.	2122	25.2813	बंजड	25.2813
12.	2145	25.0143	बंजड	25.0143
13.	2144	05.0967	बंजड	05.0967
14.	2131	19.8124	बंजड	19.8124
15.	2127	25.2732	बंजड	25.2732
16.	2123	25.2813	बंजड	25.2813
17.	2132	0.2103	बंजड	0.2103
18.	2146	14.4649	बंजड	14.4649
19.	2133	9.8859	बंजड	9.8859
20.	2134	25.2813	बंजड	25.2813
21.	2126	24.8606	बंजड	24.8606
22.	2125	12.2240	बंजड	12.2240
23.	2160	0.5258	बंजड	0.5258
24.	2161	12.3534	बंजड	12.3534
25.	1622	3.0013	गै. मु. रास्ता	01.9462
26.	2151	0.9950	गै. मु. रास्ता	00.7341
	Total	421.1573	----	377.5487

(Rajendra Bora) 01/08/2022
Genaral Manager (Mines)
Wonder Cement Limited
Jaisalmer Project

(Rajendra Bora) 31.05.2022
Genaral Manager (Mines)
Wonder Cement Limited
Jaisalmer Project

जिला कलक्टर
जैसलमेर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर

COMPLIANCE OF POINT-2 OF QUERY-4

परिशिष्ठ—ब

कार्यालय जिला कलक्टर, जैसलमेर

मै. वन्डर सीमेंट लिमिटेड के ग्राम पारेवर तह. जैसलमेर में प्रस्तावित सीमेंट प्लांट की स्थापना हेतु चाही गई राजकीय भूमि में मौके पर गुजर रहे सार्वजनिक रास्ते/सड़क के स्थान पर वैकल्पिक सार्वजनिक रास्ते एवं मोकला–मोहनगढ रोड़ से कंपनी के सीमेंट प्लांट हेतु पंहुच सडक (Approach Road) (30 मीटर चौडाई) हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत सार्वजनिक गै. मु. रास्ता के रूप में आरक्षित की गई राजस्व ग्राम पारेवर की राजकीय भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है :–

क सं.	ख. नं.	कुल रकबा (हैक्टर में)	भूमि की किस्म	सार्वजनिक रास्ते के लिये आरक्षित रकबा (हैक्टर में)
सीमेंट प्लान्ट में से गुजर रहे सार्वजनिक रास्ते के स्थान पर वैकल्पिक सार्वजनिक रास्ते के लिये प्रस्तावित भूमि				
1.	2137	20.1603	बंजड	01.4781
2.	2136	15.0636	बंजड	01.5083
3.	2135	04.1825	बंजड	00.1499
4.	2159	22.3527	बंजड	01.3584
5.	2162	25.2813	बंजड	01.5084
6.	2166	25.2813	बंजड	00.8454
7.	2167	24.6664	बंजड	01.5012
8.	2124	00.5015	बंजड	00.0071
9.	2168	04.6679	बंजड	00.0075
10.	2118	20.1684	बंजड	01.5008
11.	2119	25.2813	बंजड	01.5060
12.	2120	15.2254	बंजड	01.9161
13.	1628	24.9091	बंजड	01.5083
14.	1626	24.1082	बंजड	01.4632
	Total	**251.8499**	—	**16.2587**
कंपनी के सीमेंट प्लांट हेतु पंहुच सड़क (Approach Road) के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि				
1	2119	25.2813	बंजड	01.2076
2	2116	24.3913	बंजड	01.5083
3	2104	10.4766	बंजड	01.3808
4	2178	09.4248	बंजड	00.1275
5	2179	19.1167	बंजड	01.5084
6	2081	24.0435	बंजड	01.5084
7	2072	25.2813	बंजड	01.5084
8	2062	13.8339	बंजड	00.9812
	Total	**151.8494**	—	**9.7306**
Grand Total		**378.418**	—	**25.9893**

जिला कलक्टर, जैसलमेर

(Rajendra Bora)
Genaral Manager (Mines)
Wonder Cement Limited
Jaisalmer Project

(Rajendra Bora)
Genaral Manager (Mines)
Wonder Cement Limited
Jaisalmer Project

COMPLIANCE OF POINT-2 OF QUERY-4

कार्यालय जिला कलक्टर, जैसलमेर

परिशिष्ठ–स

मे. वन्डर सीमेंट लिमिटेड के प्रस्तावित सीमेंट प्लांट से हमीरा–सोनू खण्ड पर स्थित सोनू रेल्वे स्टेशन को जोडने के लिये रेल्वे लाईन बिछाने के कम में कंपनी को भूमि उपलब्ध करवाये जाने हेतु राजस्व ग्राम सोनू नवसृजित तहसील सम एवं ग्राम लीला पारेवर एवं पारेवर तहसील जैसलमेर की राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित/उपयोग के लिये अनुमत किये जाने वाली भूमि का खसरावार विवरण :–

क सं.	ग्राम	ख. नं.	कुल रकबा (हैक्टेयर में)	भूमि की किस्म	चाहा गया रकबा (हैक्टेयर में)	रेल्वे लाईन हेतु आरक्षित/अनुमत रकबा (हैक्टेयर में)
1-	सोनू	330	9.1174	बंजड	1.1767	1.1767
2-	सोनू	331	16.0182	बंजड	0.8097	0.8097
3-	सोनू	332	25.2813	बंजड	1.6418	1.6418
4-	सोनू	387	42.2460	बंजड	1.6781	1.6781
5-	सोनू	392	19.4241	बंजड	1.0791	1.0791
6-	सोनू	395	8.5915	बंजड	0.4144	0.4144
7-	सोनू	401	22.6358	बंजड	0.4595	0.4595
8-	सोनू	402	2.6939	बंजड	0.1379	0.1379
9-	सोनू	393	8.6077	बारानी	0.5434	0.5434
10-	सोनू	377	7.7987	बारानी	1.2000	1.2000
11-	सोनू	388	15.2254	बारानी	0.7588	0.7588
12-	सोनू	389	6.1645	बारानी	0.8946	0.8946
13-	लीला पारेवर	1310	25.2813	बंजड	1.6639	1.6639
14-	लीला पारेवर	1311	25.2813	बंजड	0.8393	0.8393
15-	लीला पारेवर	1313	12.6528	बंजड	0.7687	0.7687
16-	लीला पारेवर	1316	25.2813	बंजड	1.5120	1.5120
17-	लीला पारेवर	1328	20.3383	बंजड	1.5085	1.5085
18-	लीला पारेवर	1336	13.8501	बंजड	0.8853	0.8853
19-	लीला पारेवर	1498	13.0330	बंजड	0.5550	0.5550
20-	लीला पारेवर	1499	16.7139	बंजड	0.9401	0.9401
21-	लीला पारेवर	1503	25.2651	बंजड	1.2500	1.2500
22-	लीला पारेवर	1504	25.2813	बंजड	0.6102	0.6102
23-	लीला पारेवर	1514	5.4526	बंजड	0.4934	0.4934
24-	लीला	1335	16.0748	गै. मू.	0.6236	0.6236

(Rajendra Bora) 29/06/2022
General Manager (Mines)
Wonder Cement Limited
Jaisalmer Project

(Rajendra Bora)
General Manager (Mines)
Wonder Cement Limited
Jaisalmer Project

COMPLIANCE OF POINT-2 OF QUERY-4

25-	लीला पारेवर	1466	16.4712	गै. मु. औरण	0.9998	0.9998
26-	लीला पारेवर	1481	25.2813	गै. मु. औरण	1.5145	1.5145
27-	लीला पारेवर	1482	25.2813	गै. मु. औरण	1.2612	1.2612
28-	लीला पारेवर	1484	25.2813	गै. मु. औरण	1.3640	1.3640
29-	लीला पारेवर	1485	25.2813	गै. मु. औरण	0.7151	0.7151
30-	लीला पारेवर	1490	22.6116	गै. मु. औरण	0.8276	0.8276
31-	लीला पारेवर	1491	5.9380	गै. मु. औरण	0.2032	0.2032
32-	पारेवर	1447	16.4712	बंजड	1.0147	1.0147
33-	पारेवर	1462	25.2813	गै. मु. आगौर	1.5080	1.5080
34-	पारेवर	1463	8.4378	गै. मु. आगौर	0.5086	0.5086
35-	पारेवर	1537	8.4945	गै. मु. औरण	0.4938	0.4938

जिला कलक्टर,
जैसलमेर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर

(Rajendra Bora) 31.08.2022
Genaral Manager (Mines)
Wonder Cement Limited
Jaisalmer Project

01/08/2022
(Rajendra Bora)
Genaral Manager (Mines)
Wonder Cement Limited
Jaisalmer Project